

(201/2021)

रिपोर्ट पटवारी हलका / आर्डी(अपव्यवस्थापक)
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नलिखित अनुसार

प्रशासन गाँवों के शर्ग अभियान 2021

शाहजहाँ

खता नं० 150 में लखन के शर्गियर का नाम शारदा देवी पत्नि कालुराम
कलर दर्ज हो गया परन्तु नाम नं० 293/2-11-2019 में दर्ज नामों में सारा
पत्नि कालुराम दर्ज हुआ। अतः इसे सारा देवी पत्नि कालुराम की शुद्ध

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक - 18/10/21

क्रमांक राजस्व / 2020 /

दिनांक

मूल ही उपखण्ड अधिकारी सहोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुसार आवेदन पत्रवाला
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिलेखा की जाती है / नहीं
की जाती है।

18/10/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुन्देलखण्ड (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक - 18/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हुम्नापुरा	2075-78	150	शारदा देवी पत्नि कालुराम	सारा देवी पत्नि कालुराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 153-54
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18/10/21

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी